**संख्या- 84/2018/1320/71-2-18-पी-38/2017**

**प्रेषक,**

**डा0 रजनीश दुबे,**
**प्रमुख सचिव,**
**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**१. कुल सचिव,**
**किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।**

**२ निदेशक,**
**डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,**
**गोमतीनगर, लखनऊ ।**

**३. निदेशक,**
**सी0बी0एम0आर0, लखनऊ ।**

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2** **लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2018**

**विषयः- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ / डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान एवं सी0बी0एम0आर0 के संकाय सदस्यों/ रेजीडेन्ट डाक्टरों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य कराया जाना।**

---

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक कृपया क्रमशः पत्र संख्या-202/बी-2018, दिनांक 05.04.2018, पत्र संख्या-127/ई0एस0टी0बी0 (जी0ई0एन0)/आर0एम0एल0आई0एम0एस0/2018 दिनांक 03-04-2018 व पत्र संख्या-सी0बी0एम0आर0/2018, दिनांक 05-04-2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के समान सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-832/71-2-18-पी-38/2017 दिनांक 27 मार्च, 2018 द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में संकाय सदस्यों एवं रेजीडेन्ट डाक्टरों को 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है अतएव उक्त शासनादेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं सी0बी0एम0आर0 के संकाय सदस्यों तथा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय सदस्यों एवं रेजीडेन्ट डाक्टरों को 7वें वेतन आयोग की संस्तुंतियों के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित वेतनमान एतदद्वारा स्वीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| S.No | Name of the Post | Pay Band and Grade Pay after implemention of 6th CPC | New Pay lavels after implemention of 7th CPC |
|---|---|---|---|
| 1 | Assistant Professor | PB-3 Rs. 15600-39100 with minimum pay of Rs. 30,000: Academic Grade Pay Rs. 8000<br>After completion 3 years, will move to the Academic Grade Pay of Rs. 8700 | **Level-12**<br>(Annexure-1 of MoHRD's order dated 27-10-2017) |
| 2 | Associate Professor | PB-4 Rs. 37400-67000 with minimum pay of Rs. 42,800: Academic Grade Pay Rs. 9000 | **Level-13 A-1**<br>(Annexure-1 of MoHRD's order dated 27-10-2017) |
| 3 | Additional Professor | PB-4 Rs. 37400-67000 with minimum pay of Rs.46,000: Academic Grade Pay Rs. 9500 | **Level-13 A-2**<br>(Annexure-1 of MoHRD's order dated 27-10-2017) |
| 4 | Professor | PB-4 Rs. 37,400-67,000 with minimum pay of Rs 51,600 Acadmic Grade pay Rs 10,500<br>Upto 40% of posts of Professor are in HAG Rs. 67,000-79,000 | **Level-14 A**<br>(Annexure-1 of MoHRD's order dated 27-10-2017)<br>**Level-15**<br>(Annexure-1 of MoHRD's order dated 27-10-2017) |
| 5 | Director | Rs. 80,000 Fixed | **Level-17**<br>Para 1 (c) of MoHRD's order dated 27-10-2017 |

**Resident Doctor Those who have joined before 01-01-2016**

| Year | Jr. Resident | Sr. Resident |
|---|---|---|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | |
|---|---|---|
| 1st Year | 15600+5400=21,000/-<br>21,000 X 2.57=53970+6563 [DA of NPA]=60533<br>Pay as on 01.01.2016=61300/- + NPA 5250 | 18750+6600=25350/-<br>25350 X 2.57=65150+7923 [DA of NPA]=73073<br>Pay as on 01.01.2016=74000/- + NPA 6338 |
| IInd year | 16230+5400=21,630/-<br>21,630 X 2.57=55589+6760/- [DA of NPA]=62349<br>Pay as on 01.01.2016=63100 + NPA 5408 | 19510+6600=26110/-<br>26110 X 2.57=67103+8169 [DA of NPA]=75263<br>Pay as on 01.01.2016=76200/- + NPA 6528 |
| IIIrd Year | 16880+5400=22280/-<br>222 X 2.57=57260+6963/- [DA of NPA]=64223<br>Pay as on 01.01.2016=65000 + NPA 5570 | 20300+6600=26900/-<br>26900 X 2.57=69133+8406 [DA of NPA]=77539<br>Pay as on 01.01.2016=78500/- + NPA 6725 |

**Those Resident Doctors who have joined on or after 01.01.2016, their pay have been fixed on entry level of their matrix as under:-**

**Jr. Resident 56100/-** + NPA as admissible.
**Sr. Resident 67700/-** + NPA as admissible.

3- संकाय सदस्यों एवं जूनियर/सीनियर रेजीडेन्ट को उपरोक्तानुसार अनुमन्य वेतनमान के पुनरीक्षण के फलस्वरूप अवशेष वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जो व्यवस्था सामान्य रूप से रखी गयी है वही व्यवस्था किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान एवं सी0बी0एम0आर0, लखनऊ के लिए भी अनुमन्य होगी।

4- कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान एवं निदेशक, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ तथा उक्त संस्थान/विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वेतनमान का पुनरीक्षण एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ से समतुल्यता के आधार पर ही किया जायेगा तथा ऐसी कोई सुविधा अनुमन्य नहीं की जायेगी जो एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में अनुमन्य न हो।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/११८५/दस/2018, दिनांक २६ अप्रैल, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-84/2018/१३२०(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त नियंत्रक, के0जी0एम0यू0/डा0 रा0म0लो0आयु0संस्थान/सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार )
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।